ऑटोरिक्शा और टैक्सी चालकों के विरुद्ध दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही

773. **श्री संतोष बागडोदिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा उन दोषी ऑटोरिक्शा टैक्सी चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो कि सवारियों से मीटर से अधिक किराया लेने की मांग करते हैं या उन्हें उनके गन्तव्य पर ले जाने से इन्कार करते है ;

(ख) यदि हां, तो गत 2 वर्षों के दौरान इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितनी शिकायतों को ठीक मानकर उन पर कार्यवाही की गयी है और की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा इस अभियान में और अधिक सुधार लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है (नीचे देखिये)

(ग) अभियान में और सुधार लाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. कनाट प्लेस क्षेत्र, रेलवे स्टेशनों, अन्तर राज्यीय बस अड्डे तथा अस्पतालों में और उनके आसपास विशेष रात्रि जांच शुरू की गई है ।

2. तिपहिया /टैक्सी चालकों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त करने के लिए पुलिस आयुक्त, यातायात, नई दिल्ली के कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है जिसके टेलीफोन की संख्या 3319334 है और यह 24 घंटे कार्य करता है ।

3. हवाई अड्डे पर टैक्सी भाड़े की पूर्व अदायगी प्रणाली लागू की गई है । इससे शिकायतों में काफी हद तक कमी आयी है ।

विवरण

	तिपहिया		टैक्सियां	
	1986	1987	1986	1987
1. प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या .	2,635	4,480	780	320
2. उन शिकायतों की कुल संख्या जिन पर कार्यवाही की गई . . .	2 378	3,640	711	455
3. की गई कार्यवाही के ब्यौरे :—				
(क) नकद वसूल किया गया जुर्माना .	855	150	125	130
(ख) परमिट निलम्बित किए गए और जब्त किए गए .	126	360	108	15
(ग) न्यायालय में चालान भेजे गए	1397	3,130	452	290
(घ) शिकायतें फाइल की गई .	—	—	26	20